



BUREAU OF INDIAN STANDARDS
भारतीय मानक ब्यूरो

Southern Regional Office:
Post Box No. 8290

CIT Campus, IV Cross Road
Taramani, Chennai-600 113

Phone:

2254 1442, 2254 2519

2254 1584, 2254 1216

2254 2315, 2254 1984

FAX :

+91-044-2254 1087

+91-044-2254 2158

E-mail : adminsro@bis.gov.in

Website : www.bis.gov.in

Ref: SRO/Admn/HH

01 Sep 2017

NOTICE INVITING TENDER

Bureau of Indian Standards, Southern Regional Office, CIT Campus, IV Cross Road, Taramani, Chennai-600113 **invites sealed tenders** for providing “**Holiday Home at Udagamandalam in Tamil Nadu State on annual contract basis.**” The Sealed bidding document along-with EMD duly filled and signed and should be addressed to the Deputy Director (Administration & Finance) and reach at the above mentioned address on or before **Monday, 25 Sep 2017 by 1500 h.** Tender received after stipulated time and date shall be summarily rejected. The tender document may also be downloaded from our web site www.bis.org.in or the same can be obtained from BIS SRO on free of cost.

The holiday home could be in form of individual guest house or separate villa or where four suites shall be available for comfort staying. Necessary care-taker and cook shall be available in the holiday home and it should be provided with all infrastructure facilities including house-hold utensils for cooking. The holiday home shall be well connected by available transport. The well reputed hotels in the above said locations may also give their tender.

Tender Document:

Can be obtained from Bureau - Free of cost

Earnest Money Deposit:

Rs.25,000.00/- (Rs. Twenty Five thousand only)
DD in favour of “Bureau of Indian Standards” or
Through NEFT

Issuance of Tender Document:

From 01 Sep 2017 to 25 Sep 2017
(Between 1000h and 1600h, Except Holidays)

Last Date for submission of Tender:

25 Sep 2017 up to 1500 h

Date and time of opening of Tender:

25 Sep 2017 at 1530 h

DD for the EMD amount or details of NEFT payments should be enclosed along-with the tender document; else the bid will not be accepted.

The Bureau reserves the right to accept / reject any of the Tender(s) without assigning any reason whatsoever and shall be final and binding:

DEPUTY DIRECTOR
(ADMINISTRATION & FINANCE)
BIS-SRO, Chennai

TERMS & CONDITIONS

1. Tender document may be obtained from Administration department of Bureau of Indian Standards, Southern Regional Office on free of cost, **The tender document may also be downloaded from our web site www.bis.org.in.**
2. The sealed tender envelope super-scribing “Tender for **Holiday Home Contract**” should be sealed and delivered to the Deputy Director (Administration & Finance), Bureau of Indian Standards, either hand delivery or post or courier, on or before stipulated date and time.
3. Any change that will be made in the tender document by competent authority after issue of tender will be intimated in the form of corrigendum for incorporating the same in the tender document before sending the tender.
4. No alteration and addition in anywhere in the tender document are permitted. If any of these are found, the tender document will be summarily rejected.
5. The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the bidding process.
6. The bidder shall submit the tender legibly in English only and attach copies wherever required.
7. The tender will be valid for a period of 90 days from the date of opening of tender.

The Bidder shall deposit an interest free amount of **Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) towards the Earnest Money Deposit (EMD)**. The Earnest money shall be deposited only in the form of **Demand Draft / NEFT** in favour of Bureau of Indian Standards, Chennai. **NEFT Details for payment of EMD**

i)	Name	:	Bureau of Indian Standards
ii)	Account No	:	3063667866
iii)	IFSC CODE	:	CBIN0281293
iv)	Bank Name and place	:	Central Bank of India , Adyar Chennai – 600 020.

8. Bidder shall not revoke his bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest money deposit by it shall stand forfeited.
9. The successful bidder shall be required to pay **Performance Security amount of 10% of the Bid value on or before ten days on receipt of the placing order** on “**Holiday Home Contract**”, else the EMD amount of the successful bidder shall be forfeited and the order will be placed to the next successful bidder.
10. The EMD of unsuccessful bidder shall be refunded after the successful bidder deposits the required Performance security to the Bureau and signs the contract or within 30 days of the expiry of validity period of the bids or whichever is earlier.

11. The bidder is expected to work out his rates keeping in view the prevalent rates in the market.
12. The bidder shall quote the financial bid in this specified page only (**Annexure II**). In case of not quoting the rates in the financial bid the bid shall be rejected.
13. Initially, the Contract shall be valid for one year which can be extended for further two years with same rates and Terms & Conditions subject to mutual consent between the Bureau and Contractor and satisfactory performance by the contractor during the contract period.
14. Bid received after specified date and time shall not be considered. Hence such bid shall be rejected.
15. In the event that the specified date for the submission of bid offers is a declared holiday the offers will be received up to the appointed time on the next working day.
16. The bidder may withdraw its offer after its submission provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.
17. Tender Notice and the General Conditions shall form the part of the Contract.
18. The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of the work put to this Bid.

MINIMUM REQUIREMENTS FOR HOLIDAY HOME

Sl. No	Description.	Please Confirm Yes / No
1	<p>A) Holiday Home shall be provided with Four Suites</p> <p>B) Each Suite shall have minimum area of about 150 Square Feet</p> <p>C) Each Suite shall have an attached Toilet</p>	
2	<p>A) Each Suite should have Room Heater arrangement.</p> <p>B) Each Suite should be provided with a colour TV (LED) with Cable/ DTH connection.</p> <p>C) Furniture like Dressing Table, two Chairs, Writing Table, Cupboard, Hanger, Mirror and Double Cot Bed shall be available in each Suite.</p> <p>D) Pillows, Mattresses, Bed Spreads, Blankets and Curtains shall be available in each Suite and shall provide Hand Towels and Mosquito Repellants etc in each Suite.</p> <p>E) Bed Spreads, Pillow Covers shall be changed daily and Curtains shall be changed every month or in case of request by occupant.</p>	
3	<p>A) Each Toilet shall have Western type Water Closet, Wash Basin, Geyser, Tower rail and Mirror, hand wash, bathing soap, shampoo, paper napkin, Tissue paper etc.,</p> <p>B) Two Towels to be provided daily and changed daily.</p>	
4	<p>A) Shall provide one Common Hall with five Seater Sofa , Teapoy, Six Seater Dining Table with Chairs etc.</p>	
5	<p>A) Shall provide one Common Kitchen facility with LPG gas connection with LPG Stove, Pressure Cooker, Crockeries like Plates, Bowls, Cup & Saucers, Glasses, Spoons etc</p> <p>B) Kettle (Electrical) for Tea and coffee arrangements</p>	
6	<p>OTHER REQUIREMENTS:</p> <p>A) Shall have arrangement for safe Drinking Water supply like RO/Aqua guard etc.</p> <p>B) Shall provide 24 hours water supply in all the Suits</p> <p>C) Shall provide 24 hours Electricity Supply and in case of power failure, alternate arrangement should be available.</p> <p>D) Shall provide one Experienced Cook (NonVeg /Veg)</p> <p>E) Shall provide one Care taker who should be available for 24X7 at the Holiday Home.</p> <p>F) First Aid Box.</p>	

Signature of Bidder with Date & Seal

ADDITIONAL INFORMATION REGARDING FACILITIES AVAILABLE IN HOLIDAY HOME

Sl.No	Description.	To be filled-up
1	Name of the Holiday Home	
2	Address: Email ID Website Address	
3	Name of the Contact person: Land Line Phone Number: Mobile Number:	
4	Distance from Railway Station	
5	Distance from Bus Stand	
6	Provision for Firefighting Equipment	
7	Additional facilities if any Parking Balcony Swimming Pool Arrangement for local Sight-seeing: Arrangement for Boating: Any other facilities:	

Signature of Bidder with Date & Seal

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. **Annexure** referred to in these conditions shall mean the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
2. **Approved** shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and “Approval” shall mean approval in writing including as aforesaid.
3. **Bid** means the Contractor’s priced offer to the Bureau for the Holiday Home accommodation at the specified places and remedying of any defects therein in accordance with the provision of the Contract, the installation and services as accepted by the Letter of Acceptance.
4. **Bureau** shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
5. **Commencement Date** means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
6. **Competent Authority** shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
7. **Contract** shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
8. **Contract Amount** shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
9. **Contractor** shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
10. **Director General** shall mean the Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
11. **Government** shall mean the Central Government.
12. **Letter of Acceptance** means the formal acceptance by the Bureau.
13. **Services** shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract and other services that are prescribed in the Tender document.
14. **Specification** means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.

15. **Tender** means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer rates for Providing Accommodation for BIS Holiday Home at the specified places.
16. **Parties to the Contract:** The parties to the contract shall be the Contractor, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.
17. The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.
18. **Performance Security:** To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security shall be deposited by the contractor in the form of Demand Draft in favour of "Bureau of Indian Standards" payable at "Chennai"/by NEFT.
19. Performance Security shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau after sixty days of completion of Contract provided there are no outstanding claims of the Bureau on the Contractor.
20. Any amount due/recoverable from the Contractor under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security Deposit. In case, the amount of Performance Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit. In case, security is deposited by way of bank guarantee by the Contractor, then any penalty for damages liquidated or unliquidated or for any breach or failure or determination of Contract, not previously paid to the Bureau, shall immediately on demand be paid by the said bankers to Bureau under and in terms of the said guarantee.
21. If during the term of this Contract, the Contractor is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Contractor, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.
22. Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.
23. **Contract Documents:** The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
 - i) The Agreement

- i) The Conditions of Contract
- ii) Tender Notice and Tender Document
- iii) Letter of Acceptance
- iv) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
- v) The Contractor's Offer

24. **Validity of the Contract:** The Contract shall be valid for a period of one year from the date of award of Contract. The contract will be reviewed after one year subject to the satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of both the parties shall be extended for one year. The total maximum period of contract after yearly extension shall be three years.

25. **Scope of work:** The contractor shall provide accommodation for setting up Holiday Home for BIS in a Hotel/Inn/Heritage Home at a convenient place at one of the places i.e. in UDAGAMANDALAM.

26. The Hotel/Inn/Heritage Home for BIS Holiday Home shall be at a convenient distance from Bus Stand and/or Railway Station.

27. The Holiday Home shall consist of four suites, and should have the minimum capacity to accommodate four persons in each room. Each room should have a balcony.

28. In addition to the double bed or two single beds provided in these rooms, additional Beddings (two) would be provided by the holiday home provider as and when required without any additional payment.

29. The suites should have facilities of attached toilets with bathroom, geysers and 24 hours water supply.

30. The suites should have facilities like, furniture items such as one double bed or two single beds with beddings, dressing table, cupboards, 2 chairs/sofa seats with 1 centre table and colour TV set with cable/DTH connection, etc.

31. The suite should be well ventilated preferably sun facing and maintained clean and tidy. The rooms including doors, windows, shall be painted before the start of the contract period and repainted and polished when required.

32. Room shall be got cleaned every day and as and when required. The linen of beddings shall be changed daily and with change of occupants.

33. Curtains shall be cleaned periodically.

34. Two towels and two soap cakes shall be provided to officials occupying rooms once on checking in and will be replaced every day.

35. The Contractor (holiday home provider) shall ensure adequate supply of both hot and cold water in bath/toilets.

36. Holiday home provider shall carry out all maintenance work in the building and keep all fittings and fixture in good condition.

37. In winter season, from 1st December to 28 February of each year, the holiday home provider shall provide a heat convector in each of the rooms occupied by the BIS employees as well as on demand by the occupant during the remaining period of the year.
38. The Contractor shall also ensure engaging adequate number of employees required for providing Holiday Home services efficiently.
39. **Contractor's Obligation:** The Contractor shall provide Holiday Home accommodation as per this contract, which may be amended from time to time by the Bureau during the Contractual period and it shall always form part of the Contract. The Contractor shall abide by such assignments as provided by the Bureau from time to time.
40. The contractor shall bear all expenses for running BIS Holiday Home and BIS shall not in any manner be liable or reimburse the expenses so incurred except the amount in the Financial Bid, tax liability, if any, as per the contract.
41. The rooms held by the Contractor shall be kept locked and shall not be allowed to be used by anyone except BIS employees who have been officially allotted the rooms for stay. For this purpose BIS official(s) would carry an official letter from the BIS SRO and based on this letter only accommodation should be provided.
42. The holiday home provider shall maintain a Register for recording the stay of BIS officials and their families in the allotted rooms
43. Necessary arrangement for locking and opening of the rooms, keeping records etc. shall be made by the holiday home provider/ contractor.
44. The contractor shall provide one common kitchen facility to BIS in the premises of Holiday Home, on the same floor along with primary infrastructure i.e. gas stove in running conditions, 2 pressure cookers, adequate utensils for the use in case of all suites are occupied (4 Patilas, 1 Tawa, 4 sets of 4 plates with bowls, adequate number of glasses and spoons etc.).
45. It shall be the responsibility of the Contractor to provide manpower for cleaning of utensils of kitchen 2-3 times daily as per the need arises. No additional charges shall be paid by BIS for providing this facility. A cook shall be provided for providing refreshment arrangement for the holiday home occupier.
46. **Payment Terms:** BIS shall not be responsible to make any payment to the contractor in case of any loss to the contractor for running the BIS Holiday Home. The Contractor shall pay applicable statutory tax on actual occupancy basis. Payment of contract shall be paid every month along with the applicable statutory taxes on receipt of bills from the contractor. The payment of bills of the contract will be made only through NEFT and for the same bank details shall be provided for making payment. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount as per the Government notification from time to time of each bill submitted and other taxes if applicable.
47. **Penalty:** Imposition of fines / penalty shall be levied if it is found that the rooms officially allotted by BIS to its employees for visiting holiday home, are already occupied by others, a penalty of Rs.5000/- shall be imposed on each occasion and the shall be deducted from performance security deposit.

48. In case any complaint is received from visiting BIS employees for improper kitchen facility i.e. items are not provided in the kitchen according to the clause above, a penalty of Rs.1,000/- shall be imposed on each occasion and the shall be deducted from performance security deposit.
49. **Indemnity:** The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.
50. The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labour issues etc. or such other statutory infringements.
51. **Suspension of Contract:** The Bureau shall be at liberty at any time to temporarily suspend this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.
52. An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
- i) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,
 - ii) Without reasonable excuse Contractor has failed to provide proper Holiday Home services in accordance with this Contract;
 - iii) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
 - iv) The Contractor, in the judgment of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
 - v) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
 - vi) The Contractor becomes insolvent; A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
 - vii) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events; (j) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.
53. **Termination by the Bureau:** It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the

Contractor one month notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

54. **Contractor's right to terminate:** If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 30 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 30 days, then the entire security deposit will be forfeited.
55. **Force Majeure Clause:** If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final.
56. **Corrupt or Fraudulent Practices:** The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:
 57. Corrupt practice means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and
 58. "Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
59. The Bureau will reject a proposal for award if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.
60. **Confidentiality:** The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing Holiday Home services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

61. **Publicity:** Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.
62. **Disputes & Arbitration:** The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the BIS SRO. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.
63. **Mode of serving Notice:** Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
64. All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.
65. **Governing language:** Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English.
66. **Law:** The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.
67. **Legal Jurisdiction:** No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Chennai only.
68. **Stamp duty:** The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

AGREEMENT

THIS AGREEMENT made on this _____ day of _____ 2017 between M/s _____ (Name and Address of the Contractor) (hereinafter referred to as the CONTRACTOR, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the ONE PART and the Bureau of Indian Standards Southern Regional Office, CIT Campus, IV Cross Road, Taramani, Chennai - 600 113 (hereinafter referred to as the BUREAU, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the OTHER PART.

WHEREAS the Contractor is a service provider.

AND WHEREAS the Bureau is a Statutory body functioning under the Ministry of Consumer Affairs and Food & Public Distribution, Government of India. The Bureau intends to set up Holiday Home, therefore, invited bids through Open or Advertised / Limited / Single Tender enquiry dated _____

WHEREAS the Contractor (successful bidder) submitted his bid vide _____ in accordance with the bid document and was selected as successful bidder pursuant to the bidding process and negotiation on contract prices, awarded the "Letter of Acceptance" (LoA) No. _____ to the Contractor on _____.

BOTH THE PARTIES HERETO agree to abide the terms and conditions as mentioned in (Conditions of Contract) of Tender Document".

(Signature of Contractor/ (Signature of Authorized Officer of the Bureau)

Authorized Representative)

Name _____ Name _____

Designation _____ Designation _____

Address _____ Address _____

Seal of the Firm/Company **Seal of the Bureau**

Witness: _____ **Witness:** _____

(Signature) (Signature)

Name of Witness _____ Name of Witness _____

Address _____ Address _____

FINANCIAL BID DOCUMENT

With reference to the tender enquiry for providing Holiday Home (Guest House / Villa / Heritage Home), we quote the rate as given below.

Sl. No.	Particulars	To be filled and not to be left blank.
1	Rate to be quoted for one month (Excluding GST)	Expenditure per month (Excluding GST) Rs. in Figures: Rupees in Words:

Note: I/we have read the tender document from Page 1 to 13 and understood all the terms and conditions for providing Holiday Home services to BIS as indicated in the Tender Documents and I / We abide by the terms & conditions laid down in the Tender Document.

Date:

Place:

**(Name and Signature of Bidder
with stamp of the firm)**

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, सीआईटी कैम्पस, फ़ोर्थ क्रॉस रोड, तारामणी, चेन्नई - 600113 वार्षिक अनुबंध के आधार पर तमिलनाडु राज्य में उदगमंडलम में होलीडे होम उपलब्ध कराने के लिए पात्र फ़र्म/होटल/हरिटेज होम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है । मुहरबंद बोली दस्तावेज ईएमडी के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित) के साथ उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) को उपरोक्त पते पर दिनांक 25 सितंबर 2017 तक या उससे पहले भेज सकते हैं । निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेज को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। निविदा दस्तावेज भी हमारी वेब साइट www.bis.gov.in से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है या उक्त दस्तावेज को हमारे कार्यालय से भी निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं ।

होलीडे होम निजी गेस्ट हाउस के रूप में विला हो जहां आराम से ठहरने के लिए उपलब्ध हो । होलीडे होम के क्षेत्र में आराम से ठहरने के लिए तार्किक रूप से अच्छा भी होना चाहिए । आवश्यक कार्यवाहक और कुक होलीडे होम में उपलब्ध होना चाहिए और यह खाना पकाने के लिए बर्तन सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ उपलब्ध होनी चाहिए । होलीडे होम सुव्यस्थित उपलब्ध परिवहन से जुड़े होने चाहिए । उपरोक्त में स्थानीय प्रतिष्ठित होटल भी अपनी निविदा दे सकते हैं ।

धरोहर राशि जमा:

**₹ 25,000/- (मात्र पच्चीस हजार रुपये) डिमांड
ड्राफ्ट/नेफ्ट के माध्यम से भा मा ब्यूरो, के पक्ष में देय**

निविदा दस्तावेज जारी करना :

**1 सितंबर 2017 से 25 सितंबर 2017 तक
(छुट्टी को छोड़कर 10.00 बजे से 16.00 बजे के बीच)**

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 25 सितंबर 2017, समय 15.00 बजे तक

निविदा खुलने की तिथि व समय : 25 सितंबर 2017, समय 15.30 बजे तक

ब्यूरो बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

**(एन विट्टोबा)
उपनिदेशक
(प्रशासन एवं वित्त)**

नियम व शर्तें

1. भारतीय मानक ब्यूरो, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासन विभाग से निशुल्क निविदा दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज भी हमारी वेब साइट www.bis.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।
2. मुहरबंद निविदा दस्तावेज इस कार्यालय के उपनिदेशक (प्रशा & वित्त) भारतीय मानक ब्यूरो के पते पर निर्धारित समय तक या उससे पहले व्यक्तिगत रूप से या पोस्ट या कोरियर द्वारा वितरित किया जाना चाहिए ।
3. यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज जारी होने के पश्चात निविदा दस्तावेज में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो बोली जमा करने से पहले उक्त को शामिल करने के लिए संबंधित बोलीदाता को शुद्ध पत्र/परिशिष्ट द्वारा सूचित किया जाएगा ।
4. बोली दस्तावेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन की अनुमति नहीं है । यदि ऐसा पाया जाता है तो बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा ।
5. बोलीदाताओं को बोली को तैयार व जमा करने से संबन्धित सभी खर्च स्वयं वहन करने होंगे। किसी भी मामले में ब्यूरो लागत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
6. बोलीदाता केवल अंग्रेजी में ही निविदा को प्रस्तुत करेंगे और जहां भी अपेक्षित हो की प्रति को संलग्न करेंगे ।
7. निविदा के खुलने की तिथि से निविदा की अवधि 90 दिन तक की होगी ।
निविदादाता को **बयाना जमा के लिए रु 25,000.00 (मात्र पच्चीस हजार रुपये)** के रूप में जमा करना होगा । और भारतीय मानक ब्यूरो, चेन्नै के पक्ष में देय उक्त धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए । **ईएमडी भुगतान के लिए नेफ्ट विवरण नीचे दिया गया है :**
 - i) नाम : भारतीय मानक ब्यूरो
 - ii) खाता संख्या : 3063667866
 - iii) आईएफएससी कोड : CBIN0281293
 - iv) बैंक का नाम और स्थान : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अड्यार, चेन्नई - 600 020
8. बोली की वैधता के दौरान ब्यूरो के सहमति के बिना बोलीदाता बोली के नियमों व शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकता है । यदि बोलीदाता बोली के नियमों व शर्तों में परिवर्तन करता है तो उसके द्वारा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी ।
9. सफल बोलीदाता को निष्पादन सुरक्षा राशि हेतू बिड़ वैल्यू का 10 प्रतिशत की धनराशि आदेश की प्राप्ति होने की तिथि से 10 दिन तक या उससे पहले भुगतान करना होगा और ऐसा ना होने पर सफल बोलीदाता की ईएमडी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और अगले सफल बोलीदाता को आदेश दे दिया जाएगा ।

10. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि (जो भी हो) के अंदर ब्यूरो के लिए निष्पादन सुरक्षा की जरूरतें पूरा करने हेतू संविदा पर हस्ताक्षर होने के पश्चात असफल बोलीदाताओं के जमा राशि को वापस कर दिया जाएगा ।
11. बाजार के दरों को ध्यान में रख कर बोलीदाता को दर उद्धृत करने की अपेक्षा की जाती है ।
12. बोलीदाता को निर्दिष्ट पृष्ठ (अनुलग्नक II) में वित्तीय बोली में दरें देना है यदि वित्तीय बोली में उद्धृत दरें नहीं पाया गया है तो बोली को खारिज कर दिया जाएगा ।
13. प्रारंभ में, अनुबंध एक वर्ष के लिए वैध होगा जो अनुबंध के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के साथ वार्षिक आधार उक्त नियम शर्त व दरों के साथ ब्यूरो और निविदादाता की सहमति के अनुसार अगले दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
14. निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त बोली दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा । और इस प्रकार के बोली को खारिज कर दिया जाएगा ।
15. बोली जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को यदि छुट्टी घोषित की जाती है तो बोली दस्तावेज़ अगले कार्य दिवस में प्राप्त की जाएंगी ।
16. बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने के बाद भी वापसी के लिए लिखित में सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से और समय से पहले ब्यूरो द्वारा प्राप्त होने के बाद बोलीदाता अपने बोली ऑफर को वापस ले सकता है ।
17. निविदा सूचना और सामान्य शर्तें अनुबंध का एक हिस्सा होगा।
18. बोली में प्रस्तुत कार्यक्षेत्र को बढ़ाने/घटाने का अधिकार ब्यूरो अपने पास सुरक्षित रखता है ।

होलिडे होम के लिए न्यूनतम जरूरतें

क्रम	विवरण	कृपया पुष्टि करें हाँ/ना
1	<p>क. होलिडे होम में चार कमरे होंगे ।</p> <p>ख. प्रत्येक कमरे में न्यूनतम 150 वर्ग फुट का क्षेत्र होगा ।</p> <p>ग. प्रत्येक कमरे में शौचालय होगा ।</p>	
2	<p>क) प्रत्येक कमरे में रूम हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए।</p> <p>ख) प्रत्येक कमरे में केबल / डीटीएच कनेक्शन के साथ एक रंगीन टीवी एलईडी भी होनी चाहिए।</p> <p>ग) ड्रेसिंग टेबल, दो कुर्सियां, लेखन हेतु टेबल, अलमारी, हैंगर, दर्पण और डबल खाट बिस्तर की तरह फर्नीचर प्रत्येक कमरे में उपलब्ध होना चाहिए ।</p> <p>घ) तकिए, गद्दे, चादरें, कंबल तौलिये, तकिया कवर और मच्छर भगाने आदि की व्यवस्था और प्रत्येक कमरे में पर्दे उपलब्ध होना चाहिए।</p> <p>ड) चादरें, तकिया कवर और पर्दे दैनिक रूप से और पर्दे प्रत्येक महीने में या होटल में पधारे अतिथि के अनुरोधानुसार बदले जाएंगे ।</p>	
3	<p>क) प्रत्येक शौचालय पश्चिमी प्रकार का वॉटर क्लोसेट, वॉश बेसिन, साबुन, शैम्पू, पेपर नेपकिन, तिस्सू पेपर, गीजर, तौलिया और दर्पण होना चाहिए ।</p> <p>ख) कम से कम दो तौलिये दैनिक रूप से प्रदान की जाए ।</p>	
4	<p>क) एक कॉमन हॉल में पाँच सीटर सोफा (1 सं), एक सीटर सोफा के साथ डाइनिंग टेबल के साथ 6 कुर्सी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ।</p>	
5	<p>क) रसोई घर में एलपीडी गैस कनेक्शन, एलपीजी स्टोव, प्रेशर कुकर, प्लेट्स, कटोरे, कप और चम्मच आदि जैसे बर्तन सुविधा प्रदान करते हैं ।</p> <p>ख) चाय और कॉफी के लिए केतल की सुविधा होनी चाहिए ।</p>	

6	<p style="text-align: center;">अन्य जरूरतें :</p> <p>क) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ/अकवा गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए ।</p> <p>ख) सभी कमरे में 24 घंटे पानी की आपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।</p> <p>ग) पावर असफल होने पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।</p> <p>घ) शाकाहारी/मांसाहारी भोजन पकाने के लिए अनुभवी कूक की व्यवस्था होनी चाहिए ।</p> <p>ड) केयर टेकर की व्यवस्था हो जो होलिडे होम में 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए ।</p> <p>च) प्राथमिक उपचार की पेटी भी होनी चाहिए ।</p>	
---	--	--

तिथि व सील सहित बोलीदाता के हस्ताक्षर

होलिडे होम में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में अतिरिक्त जानकारी

क्रम	विवरण	भरे जाने हेतु
1	होलिडे का नाम	
2	पता: ईमेल आईडी वैबसाइट का पता	
3	संपर्क व्यक्ति का नाम: दूरभाष नंबर: मोबाइल नंबर:	
4	रेलवे स्टेशन से दूरी	
5	बस स्टैंड से दूरी	
6	फायर फाइटिंग के उपकरण की व्यवस्था	
7	अतिरिक्त व्यवस्था यदि हो पार्किंग बाल्कनी स्विमिंग पूल स्थानीय पर्यटन स्थलों का भ्रमण के लिए व्यवस्था: नौका विहार के लिए व्यवस्था: कोई अन्य सुविधाएं:	

तिथि व सील सहित बोलीदाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 1

संविदा की सामान्य शर्तें

1. अनुलग्नक से अभिप्राय इन शर्तों में संदर्भित निविदा दस्तावेज एवं संविदा के साथ संलग्न संबंध प्रासंगिक अनुलग्नक से है ।
2. अनुमोदित से अभिप्राय पिछले अनुमोदन के बाद की पुष्टि सहित लिखित में अनुमोदन है तथा अनुमोदन से अभिप्राय है कि यथा उपरोक्त सहित लिखित में अनुमोदन से है ।
3. बोली से तात्पर्य विहित स्थानों पर होलिडे होम आवास हेतु ब्यूरो को प्रस्तावित संविदाकार ने मूल्य तथा संविदा, स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकार्य संस्थापन एवं सेवाओं के प्रावधान सहित इसके अनुसार किसी प्रकार के कमियों के उपचार से है ।
4. ब्यूरो से तात्पर्य है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो है ।
5. आरंभ तिथि से तात्पर्य है विहित स्थानों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने की शुरुवात संबंधी वह तिथि है, जिसका संविदाकार को सूचना प्राप्त हो ।
6. सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है इस संविदा के तहत ब्यूरो के और से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा कोई अधिकारी ।
7. संविदा से तात्पर्य है निविदा सूचना हेतु बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तों निबंधन, स्वीकृत पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृत आपकी शर्तें तथा बताए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ ।
8. संविदा राशि तात्पर्य है संविदाकार द्वारा उसकी बोली में उद्धृत की गयी राशि एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य ।
9. संविदाकार से तात्पर्य है व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या ना हो, संविदा उपक्रमित एवं ऐसे व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म में शामिल व्यक्ति या अनिगमित कंपनी या ऐसी फर्म के उत्तराधिकारी या कंपनी, जो भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या फर्म या कंपनी को सौंपी गयी अनुमति ।
10. उपमहानिदेशक से तात्पर्य है कि ब्यूरो का उपमहानिदेशक उस कार्यालय का समय-समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे ।
11. सरकार से अभिप्राय है केंद्रीय सरकार ।
12. पत्र स्वीकार्यता से अभिप्राय है ब्यूरो द्वारा आधिकारिक स्वीकृत ।
13. सेवाओं से अभिप्राय है संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ तथा निविदा दस्तावेज़ में विहित की गयी अन्य सेवाएँ शामिल होंगी ।

14. विशिष्ट से अभिप्राय है निविदा में संदर्भित विशिष्ट । जहां कोई विशेष विशिष्ट न दी गई हो तो ब्यूरो की संबद्ध विशिष्ट, जहां कोई हो तो लागू हो ।
15. निविदा से तात्पर्य है कि संविदा आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो होलिडे होम तय मूल्य के लिए प्रस्ताव देने के लिए भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण ।
16. अनुबंध के लिए पार्टी ठेकेदार जिसका प्रस्ताव को ब्यूरो द्वारा स्वीकार किया जाता है; और ब्यूरो।
17. प्रस्ताव या फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकरता व्यक्ति , संविदा से संबंध सभी मामलों में एके व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा । यदि यह पाया गया कि संबद्ध व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकारी नहीं है, ब्यूरो, अन्य किसी सिविल/आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाए रख सकता है तथा/या फर्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं नुकसानों हेतु देय होती है ।
18. **निष्पादन सुरक्षा:** अनुबंध में परिभाषित के रूप में अनुबंध की वजह से प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, एक ब्याज मुक्त प्रदर्शन सुरक्षा, "चेन्नई" में देय "भारतीय मानक ब्यूरो" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ठेकेदार द्वारा जमा किया जाएगा ।
19. कार्य निष्पादन सिक्योरिटी संविदाकर की भी संविदागत देय राशि के पूर्ण होने की तिथि से ऊपर 60 दिनों के बाद ब्यूरो द्वारा संविदाकार को कार्य निष्पादन सिक्योरिटी को लौटा दिया जाएगा बाशर्ट कि संविदाकार पर ब्यूरो को कोई दावा शेष न हो ।
20. इस संविदा या किसी अन्य लेखा की शर्तों के तहत संविदाकर से देय/वसूलनीय कोई राशि कार्य निष्पादन सिक्योरिटी जमा राशि को एसी किसी कटौती के कारण से कम दिया जाता है तो संविदाकार, ब्यूरो से मांग सूचना की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर घाटे को पूरा करेगा । यदि सिक्योरिटी को संविदाकार द्वारा बैंक गारंटी के तरीके से जमा किया जाता है, तो निर्धारित या अनिर्धारित हानिपूर्ति के लिए या संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन या चूक पर जुर्माना ब्यूरो को पहले से भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि उक्त गारंटी की शर्तों के तहत ब्यूरो के उक्त बैंकरों द्वारा मांग पर तुरंत भुगतान किया जाएगा ।
21. इस संविदा की अवधि के दौरान, संविदाकर इस संविदा के तहत, देय एवं इसकी देयताओं के तहत सभी कार्य निष्पादन से चुकता है या जुर्माने के तरीके से अथवा कोई देय बकाया, जुर्माना एवं संविदाकार की ओर से देय अन्य कोई राशि की वसूली से चुकता है तो ब्यूरो इसके तहत उसके अन्य अधिकारियों एवं उपचारों पर प्रभाव डाले बिना लागू कानून पर से कार्य निष्पादन से उसे रोकने का हकदार होगा ।

22. कुछ भी ना उल्लेख होने पर इसके साथ साथ निष्पादन सुरक्षा की राशि से अधिक नहीं होगी, और किसी भी मामले में उपरोक्त के रूप में एक या किसी अन्य माध्यम से संविदाकार से ही किसी भी तरह के नुकसान, क्षति, लागत, प्रभार और खर्च की राशि को ठीक से जांच के उपरांत ब्यूरो द्वारा वसूला जाएगा ।
23. संविदा के दस्तावेज़: संविदा बनाने वाले विभिन्न संविदा दस्तावेजों को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में वर्णित किया जाएगा ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुमेलित किया जाये । इस पर यह संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा ऐसे मामले में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो संविदा बनाने हेतु दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेंगी :
- i) करार
 - ii) अनुबंध की शर्तों
 - iii) निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज
 - iv) स्वीकारता पत्र
 - v) किसी भी अन्य पत्राचार संविदा के संबंध में दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया।
 - vi) संविदाकार का प्रस्ताव
24. **संविदा की वैधता** : इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा होगी। तथापि संविदा की वार्षिक समीक्षा की जाएगी तथा संविदा अवदी के दौरान संतुष्टिपरक निष्पादन एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति की शर्त पर वार्षिक आधार पर इसे अधिकतम तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा ।
25. **कार्य क्षेत्र** : भारतीय मानक ब्यूरो को होलिडे होम के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु कार्य क्षेत्र उदगमंडलम के आस पास संविदाकार भारतीय मानक ब्यूरो के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर एक होटल / इन में आवास प्रदान करेगा ।
26. भारतीय मानक ब्यूरो के लिए हॉलिडे होम होटल / इन से बस स्टैंड /रेलवे स्टेशन की दूरी सुविधाजनक होना चाहिए ।
27. हॉलिडे होम में चार सूट होना चाहिए और और प्रत्येक कमरे में कम से कम चार व्यक्तियों के ठहरने की क्षमता होनी चाहिए। प्रत्येक कमरे में एक बालकनी भी हो ।
28. इन कमरों में उपलब्ध कराई गई डबल बेड या दो सिंगल बेड के अलावा, अवश्यकता होने पर बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अतिरिक्त दो बेड के रूप में होलिडे होम प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा ।
29. कक्ष के साथ बाथरूम, 24 घंटे पानी की आपूर्ति के साथ सटा हुआ शौचालय की सुविधाएं होनी चाहिए।

30. कमरे में फर्नीचर आइटम डबल बेड या दो सिंगल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कपबोर्ड, 2 कुर्सी/सोफा के साथ सेंटर टेबल और कनेक्शन के साथ रंगीन टीवी जैसी सुविधाएं होनी चाहिए ।
31. कमरे अच्छी तरह से हवादार अधिमानतः सन फेसिंग और साफ-सुथरे होने चाहिए पते की अवधि आरंभ होने से पहले कमरों के दरवाजे खिड़की सहित पेंट किए हों और वर्ष में एक बार दुबारा उन्हें पेंट किया जाना चाहिए ।
32. कमरों को प्रतिदिन जब आवश्यक हो तब साफ किया जाएगा और चादरों को राज बदला जाएगा ।
33. पर्दे को समय समय पर साफ किया जाएगा ।
34. चेक इन के समय में प्रत्येक कमरे में दो तौलिए और दो साबुन केक में प्रदान किए जाएंगे और उन्हें हर दिन बदला भी जाएगा।
35. ठेकेदार (होलिडे होम प्रदाता) स्नान / शौचालय में दोनों गर्म और ठंडे पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
36. हॉलिडे होम प्रदाता इमारत में सभी रखरखाव के कामों को निष्पादित करेगा और अच्छी हालत में सभी फिटिंग में रखना होगा।
37. सर्दियों के मौसम में, 1 दिसंबर से हर साल 28 फरवरी के बीच, होलिडे होम प्रदाता वर्ष की शेष अवधि के दौरान संविदाकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा मांग पर कमरों में गर्मी के लिए कन्वेक्टर प्रदान करेगा।
38. संविदाकार कुशलतापूर्वक होलीडे होम सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित करेगा।
39. संविदाकार का दायित्व संविदा की अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है जो इस संविदा के अनुसार होलीडे होम आवास प्रदान करेगा और यह हमेशा संविदा का हिस्सा होगा। समय-समय पर ब्यूरो द्वारा प्रदान के रूप में संविदाकार के कार्य का पालन करेगा।
40. संविदाकार भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलिडे घर चलाने के लिए सभी खर्चों का वहन करेगा और भारतीय मानक ब्यूरो के किसी भी रूप में जिम्मेदार हो या संविदा के अनुसार, यदि कोई हो, तो वित्तीय बोली में राशि, कर देनदारी को छोड़कर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
41. संविदाकार द्वारा सभी कमरों को बंद रखा जाएगा और आधिकारिक तौर पर ठहरने के लिए कमरे आवंटित किया गया है जो भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों को छोड़कर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस उद्देश्य के

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी (एस) से जारी आधिकारिक पत्र के आधार पर केवल आवास प्रदान की जानी चाहिए ।

42. होलिडे होम प्रदाता आवंटित कमरे में भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों और उनके परिवारों के रहने की रिकॉर्ड हेतु एक रजिस्टर रखेगा।
43. होलिडे होम प्रदाता द्वारा कमरों को खोलना और बंद करने के लिए और रिकॉर्ड रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ।
44. संविदाकार होलिडे होम परिसर में एक रसोई की सुविधा उपलब्ध कराएगा और वो भी उसी फ्लोर पर होना चाहिए जैसे ठीक से काम करने वाली गैसस्टोव के साथ दो कूकर, पर्याप्त मात्रा में यूटेन्सिल के साथ साथ सभी प्रकार के बर्तन उपलब्ध होना चाहिए ।
45. यह जरूरत पड़ने पर दैनिक रसोई के बर्तन की सफाई के लिए हेल्पर उपलब्ध कराना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने पर भारतीय मानक ब्यूरो कोई अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करेगा । एक बावर्ची होलिडे होम संविदाकार के लिए जलपान की व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
46. **भुगतान की शर्तें:** भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलिडे होम चलाने के लिए संविदाकार को किसी भी नुकसान के मामले में संविदाकार को किसी भी भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संविदाकार वास्तविक अधिभोग के आधार पर लागू वैधानिक कर का भुगतान करेगा। अनुबंध का भुगतान ठेकेदार से बिल की प्राप्ति पर लागू वैधानिक करों के साथ-साथ हर महीने का भुगतान किया जाएगा। अनुबंध के बिलों का भुगतान केवल भुगतान करने के लिए प्रदान किया जाएगा एनईएफटी के माध्यम से और एक ही बैंक विवरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। भुगतान यानी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन हो जाएगा, कर सरकार की अधिसूचना के अनुसार समय से प्रस्तुत प्रत्येक बिल के समय के लिए सकल राशि से प्रचलित दरों पर उपकर / अधिभार के साथ स्रोत पर कटौती की जाएगी ।
47. **जुर्माना:** यदि यह पाया जाता है कि यह आधिकारिक तौर पर छुट्टी घर आने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आवंटित कमरे, पहले से ही दूसरों के द्वारा रुपये का जुर्माना कब्जा कर रहे हैं तो जुर्माना / जुर्माना लगाने लगाया जाएगा। 5000 / - प्रत्येक के लिए लगाया जाएगा और प्रदर्शन सुरक्षा जमा से कटौती की जाएगी।
48. किसी भी मामले में भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों से हॉलिडे होम में ठहरने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होता है। तो उक्त खंड के अनुसार जुर्माना रु 1000 / - प्रत्येक के लिए लगाया जाएगा जो प्रदर्शन सुरक्षा जमा से कटौती की जाएगी।

49. संविदाकार किसी व्यक्ति या किसी प्रापर्टी जो भी हो के चोटिल होने या नुकसान होने पर ब्यूरो के सभी नुकसानों एवं दावों जो संविदा से उपजे या परिणामस्वरूप हो और सभी का दावा, मांग, कार्यवाही, क्षति, लागत के विरुद्ध हो सकता है, जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी संपत्ति के क्षति होने के लिए सभी घाटा और दावों के खिलाफ ब्यूरो क्षतिपूरित, जो भी समय-समय पर यथा संशोधित करने के संबंध में या विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के तहत उससे संबंधित आरोपों और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा।
50. संविदाकार ब्यूरो के विरुद्ध सभी दावों, लागत नुकसानों, खर्चों, कार्यवाई व अन्य प्रक्रिया किसी पेटेंट के उल्लंघन के परिणामतः ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि ऐसे ही अन्य वैधानिक उल्लंघन जो क्षतिपूर्ति रक्षा व बचाव करेगा ।
51. संविदा का समापन/आस्थगन: ब्यूरो को बदलाव पर या इसके कारण प्रतिपूर्ति पर इस संविदा को अस्थायी तौर पर किसी भी समय आस्थगित करने की स्वतन्त्रता होगी । संविदाकार की अपर्याप्त सेवा एवं दुर्व्यहार हेतु इस संविदा की किन्हीं शर्तों एवं नियमों को भंग करने के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देते हुए जो भी ब्यूरो का निर्णय हो, संविदाकार के लिए अंतिम होगा और संविदाकार का कोई भी हकदार नहीं होगा ।
52. संविदा के तहत अपनी सेवा दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होने पर संविदाकार से जो परिणाम मिलता है तो संविदाकार की ओर से इस घटना में हुई चूक को गंभीर डिफॉल्ट के रूप में समझा जाएगा, और निम्न कारणों में से किसी के लिए समझा जाएगा ।
53. ब्यूरो की राय में, ठेकेदार के अनुबंध को अस्वीकार कर दिया है ।
54. बिना किसी तार्किक से संविदाकार इस संविदा के अनुसार उचित होलीडे होम सेवाएं प्रदान करने में नाकाम रही है तो;
55. लिखित रूप में ब्यूरो से पिछले चेतावनी के बावजूद, या अन्यथा लगातार या संविदा के तहत अपने दायित्वों को पालन करने में घोर लापरवाही रहने पर हो, तो;
56. ब्यूरो के न्याय में संविदाकार, संविदा के तहत सेवाओं को पूर्ण या निपटने में भ्रष्ट या गलत रीतियों में पाया जाता है ।
57. संविदाकार स्वैच्छिक या अनैच्छिक दिवाला, या परिसमापन में प्रवेश करती है;
58. संविदाकार दिवालिया हो जाता है; एक रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी और परिसमापक अपनी संपत्ति के किसी भी पर्याप्त भाग पर नियुक्त किया जाता है;
59. संविदाकार या इसकी संपत्ति के साथ किसी भी कार्य किया या पूर्वगामी घटना के किसी भी कृत्य या घटनाओं के लिए काफी हद तक समान प्रभाव पड़ता है किसी भी

लागू कानून के तहत है, जो ठेकेदार या अपनी संपत्ति के संबंध में होता है; (जे) (एक संघ के मामले में) ठेकेदार संघ और/ या ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना संघ के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी की संरचना में संशोधन किया है।

60. **ब्यूरो द्वारा समापन:** ब्यूरो बिना कोई कारण बताए और ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में संविदाकार को एक महीने के नोटिस देकर ठेकेदार ऐसी समाप्ति की वजह से कष्ट हो सकता, जो नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होने के बिना किसी भी समय पर समझौते को समाप्त करने के लिए यह भी वैध हो जाएंगे ऐसी समाप्ति के लिए संविदाकार को परेशानी हो सकती है। किसी भी तरह के समापन अनुबंध के तहत ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।
61. **समापन हेतु संविदाकार का अधिकार:** संविदाकार संविदा की अवधि के पूरा होने से पहले संविदा को समाप्त करने का फैसला ले सकता है तो इसके लिए संविदाकार को कम से कम 30 दिन से पहले अग्रिम सूचना देना होगा। संविदाकार 30 दिनों की पूर्व सूचना के बिना समझौते समाप्त करता है, तो पूरी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
62. **मुख्य खंड लागू करना:** इस संविदा की बारंबारता के दौरान, किसी भी समय पर यदि इसी संविदा के तहत किसी भी दायित्व के पूर्णरूपेण या अंशत निष्पादन को किसी लड़ाई, युद्ध स्थिति सरजनिक शत्रुता संबंधी कार्यों, महामारी, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी (बाद में इस तरह के कृत्यों के रूप में करने के लिए कहा गया है) की तारीख से 21 दिनों के भीतर दूसरे के लिए एक पार्टी द्वारा दिया जाएगा। और इस तरह की घटना के घटित होने की सूचना भी उपलब्ध कराया जाना उचित है और न तो पार्टी इस तरह की घटना के कारणों के द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है और न ही पार्टी इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में अन्य के खिलाफ क्षति के लिए किसी भी प्रकार का दावा पेश करे, और अनुबंध के तहत सेवा देने के रूप में फिर से शुरू किया जाएगा जल्द ही इस तरह की घटना के बाद साध्य के रूप में आगे बढ़ेंगे हैं, बशर्ते ब्यूरो के महानिदेशक के अंतिम निर्णय पर होगा, फिर से कार्य शुरू करने के लिए किया जाय जो निष्पादन पर निर्भर करता है, इसके लिए ब्यूरो स्वतंत्र रूप से अपने विकल्प पर भी प्रदान की संविदा समाप्त कर सकते हैं कोई भी पक्ष ऐसी भी स्थिति में न तो इस संविदा को समाप्त करेगा और न ही गैर निष्पादन, में देरी के संबंध में अन्य नुकसानों की भरपाई का दावा करेगा और जब ऐसी घटनाएँ समाप्त न हो जाए या बंद न हो इसके बाद व्याहरिक रूप से संविदा शुरू नहीं की जाएगी तथा जब तक

ब्यूरो के उपमहानिदेशक पुनः संविदा को शुरू करने का निर्णय नहीं लेते हैं, इस मामले में उपमहानिदेशक का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा ।

63. **भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ:** ब्यूरो को अपेक्षा कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसी संविदाताओं की प्राप्ति एवं निशपादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरान्त, ब्यूरो निम्नानुसार शर्तें सेट करना परिभाषित करता है :
64. **भ्रष्ट रीति** से अभिप्राय है कि प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना,
65. कपटपूर्ण रीतियों से अभिप्राय है कि ब्यूरो को हानि पहुंचाने के लिए प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा कृत्रिम तौर पर अप्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुतीकरण पूर्ण या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतियाँ शामिल हैं तथा ब्यूरो को मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा से वंचित करना शामिल है ।
66. यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता कि संविदा हेतु जिस बोलीदाता के नाम की सिफारिश की गयी है वह संविदा हेतु प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में संलिप्त है तो ऐसी संविदा के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा । यदि ब्यूरो को यह भी ज्ञात होता है कि फर्म संविदा की प्रतिस्पर्धा कि भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है । तो फर्म को अनिश्चित काल या 24 माह की सीमा हेतु अयोग्य समझा जाएगा ।
67. **गोपनीयता :** संविदाकार ब्यूरो से पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को इस संविदा के तहत होलीडे होम सेवाएं प्रदान करते हुए प्राप्त हमारे मालिकाना हक का खुलासा नहीं करेगा ।
68. **प्रचार-प्रसार :** जिस किसी भी प्रचार-प्रसार सामग्री में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार को ऐसे केवल ब्यूरो से लिखित में अनुमति लेने पर ही करना चाहिए ।
69. **विवाद और मध्यस्थता :** ब्यूरो और संविदाकार संविदा से जुड़े किसी असहमति या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे अनौपचारिक बात से हल निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे । यदि किसी भी प्रकार का विवाद का हल नहीं निकल पाता है तो इस मामले में अनुसूची-4 में दर्शाये गए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त विवाचक के पास भेजा जाएगा । भारतीय विवाचक एवं समजोता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

70. **सूचना भेजना का तरीका** : संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावित होगा । नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) केवल डिलिवरी होने पर ही प्रभावी होगा ।
71. संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएंगे । यदि संविदाकार के अंतिम निवास स्थान या पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि नोटिस सामान्य डाक से भेजे जाने पर इसे समय पर डिलिवरी हुए के समान माना जाएगा ।
72. **शासकीय भाषा** : पूरे अनुबंध और संचार उसके लिए भाषा शासकीय अंग्रेजी में किया जाएगा।
73. **कानून** : संविदा भारतीय कानून के तहत शासित और परिभाषित होंगी ।
74. **न्यायिक अधिकार क्षेत्र**: संविदाकार केवल तमिलनाडू में स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में संविदा या भंग के संबद्ध मुकदमा या अन्य कार्यवाई नहीं की जाएगी ।
75. **स्टाम्प ड्यूटी**: संविदा से संबंध किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभार का भुगतान संविदाकार वहन करेगा।

करार

यह करार _____ के दिन _____ (माह) _____ को किया गया है, यह (जिसे आगे इसमें संविदाकार कहा गया है) जब तक प्रसंगगत या इसके विरुद्ध न हो इसमें जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ समझा जाएगा तथा इसके उत्तराधिकारी एवं सुपुर्दकार शामिल होंगे। एक पक्ष तथा भारतीय मानक ब्यूरो, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, सीआईटी कैम्पस, चौथा क्रॉस रोड, तारामनी, चेन्नई - 600 113(जिसे आगे इसमें ब्यूरो कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति का अभिप्राय समझा जाएगा, जब तक प्रसंगगत या उसके अभिप्राय विरुद्ध न हों, इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं सुपुर्दकार शामिल होंगे) दूसरे पक्ष के बीच करार हुआ।

जबकि सेवा प्रदाता संविदाकार है।

एवं ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निगमित है। ब्यूरो दर संविदा आधार पर होलिडे होम का इच्छुक है अतः खुले या विज्ञप्ति/लिमिटेड/ एक निविदा दिनांकित के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित की गयी हैं।

जबकि संविदाकार (सफलतम बोलीदाता) ने अपनी बोली प्रस्तुत बोली दस्तावेज़ के अनुसार देखें तथा बोली की प्रक्रिया के अनुपालन से यथा सफलतम को संविदाकार को स्वीकार्यता पत्र (LoA) संख्या दिया गया।

निविदा दस्तावेज़ की अनुसूची 2 (शर्तें एवं निबंधन) में दर्शाएँ अनुसार शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन हेतु दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं :

.....

(संविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि
हस्ताक्षर)

(ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के
के हस्ताक्षर)

गवाह:

गवाह:

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

नाम

नाम.....

पदनाम

पदनाम

पता

पता

वित्तीय बोली दस्तावेज़

हॉलिडे होम (गेस्ट हाउस/विला/हरिटेज होम) उपलब्ध कराने के लिए निविदा पूछताछ के संदाभ में, निम्नानुसार दरें उद्धृत हैं ।

क्रम सं	विवरण	भरने के लिए, खाली न छोड़ा जाये
	एक महीने के लिए दर उद्धृत किया जाना है	प्रति महिना खर्च: रुपये अंको में: रुपये शब्दों में:

ध्यान दें: मैंने/हमने 1 से 13 पेज तक का निविदा दस्तावेज़ को पढ़ लिया है और भारतीय मानक ब्यूरो को उपलब्ध कराने के लिए हॉलिडे होम हेतु निविदा दस्तावेज़ में दिये गए सभी नियम व शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है और निविदा दस्तावेज़ में दिये गए नियमों व शर्तों का हम अनुपालन करेंगे ।

तिथि:

स्थान;

(फर्म की मुहर सहित संविदाकर का
नाम व हस्ताक्षर)